न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 778/2023

अनवान : –

1. हिरा कंवर पत्नी रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।

– वादीया

बनाम्

1. उम्मेदसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
2. ज्ञानसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
5. रूकमा कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
6. गोतम कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
7. सन्तोष कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
8. किरण कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
9. सुनिता कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादीया**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 29/4/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा चक 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 147/143 की कुल 1.5180 हैक्ट तथा रोही मौजा चक 25 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 83/83 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 457/506 हिस्सा भूमि रूपसिंह पुत्र कानसिंह के नाम दर्ज [illegible] रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:45 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त वादी वादीया की [illegible] है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति रूपसिंह [illegible] कानसिंह के नाम दर्ज है। वादीया के पति रूपसिंह पुत्र कानसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा रूपसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कानसिंह के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया काबिज है। वादीया जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीया के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीया के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 9 ने जरिये अधिवक्ता वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 10 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण रूपसिंह, सदस्य प्रमाण पत्र बाबत वारिसान आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति रूपसिंह पुत्र कानसिंह के नाम दर्ज है। वादीया के पति रूपसिंह पुत्र कानसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा रूपसिंह पुत्र कानसिंह के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:45 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीया की दादालाई / पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीया के साक्ष्य सबूतों के आधार पर अन्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 147/143 की कुल 1.5180 हैक्ट तथा रोही मौजा चक 25 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 83/83 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 457/506 हिस्सा भूमि रूपसिंह पुत्र कानसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादीया का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीया के पति रूपसिंह पुत्र कानसिंह के नाम दर्ज है। वादीया के पति रूपसिंह पुत्र कानसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा रूपसिंह पुत्र कानसिंह के जायज वारिसान पत्रावली में दर्शाये सजरा खानदान के अनुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 है जो की अपने हक हिस्सा के अनुसार उक्त वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीया के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीया काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को कोई ऐतराज नही है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वारिस प्रमाण एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक रूपसिंह पुत्र कानसिंह के अन्य कोई भी वारिसा नही होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 147/143 की कुल 1.5180 हैक्ट तथा रोही मौजा चक 25 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 83/83 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 457/506 हिस्सा भूमि में रूपसिंह पुत्र कानसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/4/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:45 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 778/2023

अनवान : –

1. हिरा कंवर पत्नी रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।

– वादीया

बनाम्

1. उम्मेदसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
2. ज्ञानसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
4. भूपेन्द्र सिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
5. रूकमा कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
6. गोतम कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
7. सन्तोष कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
8. किरण कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
9. सुनिता कंवर पुत्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी जसाना हाल निवासी गन्धेली तहसील रावतसर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 778 सन 2023 निर्णय दिनांक – 29/04/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री रामकुमार बैनीवाल एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 147/143 की कुल 1.5180 हैक्ट तथा रोही मौजा चक 25 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 83/83 की कुल 0.5060 हैक्ट भूमि में से 457/506 हिस्सा भूमि में रूपसिंह पुत्र कानसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/04/24 को हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.01 19:49:45 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर